झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शिकायत)–10/2022 -501

प्रेषक,

संजय कुमार,
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 06.06.2022

विषयः– अप्रैल एवं मई माह का राशन 30 जून तक मिलने संबंधी प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक–06.06.2022 को राज्य में अप्रैल–मई माह का राशन 30 जून तक मिल सकने संबंधी समाचार प्रकाशित हुई है। प्रकाशित समाचार में यह भी उल्लेख है कि अप्रैल माह का राशन भुगतान समय पर नहीं होने के कारण विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त प्रकाशित समाचार की कतरन की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त मामले में एक विस्तृत प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

6/6/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्डराज्य आवासबोर्ड के पुरानेभवन का द्वितीय तल, हरमूहाउसिंगकॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

हिन्दुस्तान

दिनांक - 6/6/2022

अप्रैल-मई का राशन 30 जून तक मिल सकेगा

निर्देश

- एक महीने का दूसरे माह में राशन नहीं भुगतान करने का है प्रावधान
- समय पर भुगतान नहीं करने पर बाद में नहीं दिया जाएगा राशन

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो । झारखंड में 30 जून तक अप्रैल-मई महीने का राशन, मिल सकेगा। इसके लिए सभी जिलों को खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के विभाग ने निर्देश दिया है। अब तक जिस महीने का राशन होता था, उसी महीने उसका भुगतान हो जाना होता है। अप्रैल महीने का राशन भुगतान समय पर नहीं होने की वजह से विभाग ने यह निर्णय लिया है। ऐसे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन लोगों को दिया जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई महीने का राशन लाभुकों को उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों को अप्रैल और मई महीने का राशन जून तक उपलब्ध होगा। राशन का वितरण निर्धारित समय सीमा के अंदर हो जाना चाहिए। अगर 30 जून तक राशन का वितरण नहीं हो सका तो उसके बाद इन महीने का राशन का भुगतान नहीं हो सकेगा। इसे सरेंडर करना होगा और इसे स्टॉक में दिखाना होगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के अपर सचिव ज्योति कुमारी झा ने झारखंड राज्य खाद्य व असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान पदाधकारी, सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी और राज्य खाद्य निगम के सभी जिला प्रबंधक को निर्देश दिया है। साथ ही समय सीमा के अंदर इसे सुनिश्चित करने को कहा है।